



2026:AHC:7111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 137 वर्ष 2026

परमेश्वर यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

राजेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा पारित दिनांक 23.11.2020 के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता है।
2. सुश्री अर्चना त्यागी, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. रिट याचिका को **वापसी के कारण खारिज** कर दिया जाता है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है।

जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।